मैनुअल संख्या–4

अपने कृत्यो के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

पुलिस विभाग प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है । जनपद स्तर पर पुलिस विभाग का कार्य पुलिस कार्यालय के माध्यम से कराया जाता है पुलिस विभाग के कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मापमान/नियमों का उल्लेख निम्नवत् हैः–

भवन

1– भवनों के रख रखाव/मरम्मत/नव निर्माण हेतु प्राप्त धन का विवरण रखना, भूमि एवं भवन पंजिका का रख–रखाव करना

2– भवनों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था, अग्निशमन यंत्रों का रख–रखाव की व्यवस्था करना।

सन्दर्भ पुस्तिका

1–वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–

2–पुलिस आफिस मैनुअल

स्टाफ

1– स्टाफ की स्वीकृति, नियुक्तियां, रिक्तियां/अवकाश/ स्थानान्तरण तथा आरक्षण की स्थिति प्रदर्शित करनी।

2– कर्मचारियों के सेवा पुस्तिकाये/चरित्र पंजिकाओं अवकाश लेखा, जी0पी0एफ0 पास बुक को अद्यावधिक रखना।

3– कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में प्रतिदिन उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही करना

4– ड्यूटी के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने बाले कर्मियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

..1

5– आकस्मिक अवकाश पंजिका में स्वीकृत अवकाश दर्ज करना।

सन्दर्भ पुस्तिका–

1–पुलिस आफिस मैनुअल

2–पुलिस रेगुलेशन

3–सामान्य भविष्य निधि नियमावली

कार्य विभाजन

अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य कार्यो के विभाजन करना तथा मानक के अनुसार कायर्यन्वयन करना । पुलिस अधीक्षक चमोली के आदेश संख्या एल–1/स्थाई दिनांक 21–11–2005 के द्वारा कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन किया गया है सम्बन्धित कार्यालयादेश संलग्न परिशिष्ट 01 पर है।

सन्दर्भो का निस्तारण

सन्दर्भ पुस्तिका पुलिस आफिस मैनुअल

1– सामायिक रिपोर्ट की पंजिका बनाकर रिपोर्ट को सामयिक रूप से प्रेषित करना

2– विधायी कार्यो से संबधित जैस विधान सभा, विधान परिषद, लोक सभा, राज्य सभा के प्रश्नों के उत्तर से समय से भेजना।

3— शासनादेश, पुलिस मुख्यालय से प्राप्त परिपत्रों से सम्बन्धित गार्ड फाइल अद्यावधिक रखना।

अपराधों पर नियंत्रण रखने, जनता एवं पुलिस के मध्य पारस्परिक सहयोग बढ़ाने एवं जनता के मध्य पुलिस की छवि के सुधार हेतु पुलिस मुख्यालय/जनपद स्तर पर निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार कार्य सम्पादित किये जा रहें, जिनका विवरण निम्नवत् हैः—

1—ग्राम सुरक्षा/मोहल्ला समितियों का गठनः—

जनपद के प्रत्येक थाना क्षेत्रान्तर्गत स्थित सुदूर ग्रामों में ग्राम सुरक्षा समिति तथा शहरी क्षेत्रों मोहल्ला समिति का गठन किया गया है, जो अपराधों पर अंकुश लगाने एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस सम्बन्धी कार्यो सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही पुलिस एवं जनता के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने में उक्त गठित समितियों का विशेष योगदान प्राप्त किया जाता है।

जनपद स्तर एवं थाना स्तर पर शांति सुरक्षा समितियों का गठन

mRrjkapy 'kklu ds i= la[;k %212 @ x`g&1@86

श्री एस0के0 दास प्रमुख सचिव, उत्तरांचल शासन के पत्र संख्याः 212/गृह—1/86/ शासुक 9/2003, दिनांक 4—7—2003 के अनुपालन में जनपद एवं थानों पर शांति सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है। संलग्नक—2

2—महिला हैल्प लाइन

पुलिस महानिदेशक देहरादून के पत्र डीजी —पांच—196/2004, दिनांक 26—10—2004

महिला के उत्पीडन पर अंकुश लगाये जाने एवं महिलाओं में पुलिस

के प्रति विश्वास जागृत किये जाने हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल देहरादून पत्र संख्याः डीजी–पांच–196/ 2004, दिनांक 26–10–2004 के क्रम में जनपद में महिला हैल्प लाइन का गठन किया गया है। संलग्नक–3

<u>महिला डेस्क</u>

पुलिस मुख्यालय उत्तरांचल देहरादून के निर्देशानुसार जनपद के प्रत्येक थाने पर महिला डेस्क गठित किया गया है, जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के प्रति घरेलू हिंसा रोकने का

.3

<u>मानवों के अवैध व्यापार राकेने के सम्बन्ध में सैल का गठन</u>

पुलिस मुख्यालय का आदेश संख्याः डीजी–5–258/2006, दिनांक 25–8–2006

अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उत्तरांचल पुलिस मुख्यालय देहरादून के आदेश संख्याः डीजी–5–258/2006, दिनांक 25–8–2006 के द्वारा जनपद स्तर पर ।दजप ज्तांपिबापदह छवकंस ब्मसस का गठन किया गया है। संलग्नक–4

<u>फेरी, मजदूरी एवं धरेलू नौकरो का चरित्र सत्यापन</u>

डीजी परिपत्र संख्या–3/2005, दिनांक 21–4–2005

बाहरी जनपदों से जनपद में आकर मजदूरी, फेरी एवं धरेलू नौकर के रूप में कार्य कर मौके के फायदा उठाकर अपराध करके जनपद से बाहर जाते हैं ऐसे नेपाली /विहारी/ कश्मीरी, मजदूरों, एवं अन्य फेरी लगाने वाले तथा धरेलू नौकरों का चरित्र सत्यापन किया जाय, ताकि कोई अपराध करके भागने पर पकड़ा जा सकें। संलग्नक–5

<u>सीनियर सीटिजन प्रकोष्ठ</u>

डीजी परिपत्र संख्या – 3 /2005, दिनांक 21–4–2005

पुलिस मुहानिदेशक, उत्तरांचल देहरादून के परपित्र संख्याः डीजी–3/2005, दिनांक 10–4–2005 के सन्दर्भ में जनपद

सीनियर सीटिजन प्रकोष्ठ बनाया गया है। सीनियर सीटिजन के साथ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक एवं थाना प्रभारियों द्वारा गोष्ठी आयोजित की जाती है। संलग्नक–5

निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सामग्री का परीक्षण

अशा0 पत्र संख्याः डीजी–दो–17/2006 दिनांक 30–1–2006 के साथ प्राप्त शासनादेश संख्या 542/ ग्ग्टप्प (1)/2005, दिनांक 5–3–2005

अपर पुलिस महानिदेशक,प्रशासान उत्तरांचल देहरादून के अशा0 पत्र संख्याः डीजी–दो–17/2006 दिनांक 30–1–2006 के साथ प्राप्त शासनादेश संख्या 542/ ग्ग्टप्प (1)/2005, दिनांक 5–3–2005 के सन्दर्भ में जनपद में

प्रचलित निर्माण कार्यो गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्माण इकाई द्वारा निर्माण कार्यो हेतु उपलब्ध करायी गई सामग्री का परीक्षण अधिकृत संस्था पी0डब्लू0डी0, पन्त नगर विश्वविद्यालय तथा सी0बी0आर0आई0डी0 रूड़की से कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा निर्माण कार्यो की गुणवत्ता हेतु जनपद स्तर पर कमेटी गठित करने हेतु निर्देशित किया गया है। संलग्न–6,(1, एवं 2,)

3–राहत एवं बचाव कार्यो हेतु मॉक ड्रिल एवं आपदा प्रबन्धन हेतु उपलब्ध कराये गये उपकरणों का समय–समय डिमोस्ट्रेशन एवं कार्यशाला का आयोजन–

जनपद चमोली एक सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर समय–समय पर प्राकृतिक आपदाये एवं सड़क दुर्घटना होती रहती है। जनपद में घटित होने वाले प्राकृतिक आपदाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राहत एवं बचाव कार्य के सम्बन्ध में मॉक ड्रिल, डिमोस्ट्रेशन, आपदा प्रबन्धन हेतु उपलब्ध कराये गये

उपकरणों के सम्बन्ध में समय–समय पर कार्यशाला का आयोजन कर पुलिस कर्मियों के साथ–साथ स्थानीय नागरिकों एवं छात्रों को उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में जानकारी दी गई जिसके परिणामस्वरूप जहां एक ओर इन लोगों को आपदा प्रबन्धन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई वहीं दूसरी ओर पुलिस के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ तथा इन लोगों के द्वारा प्राकृतिक आपदा एवं सड़क दुर्घटना के दौरान पुलिस को पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। पुलिस द्वारा सड़क दुघर्टना के दौरान तत्परता से राहत एवं बचाव कार्य किये जाने से स्थानीय नागरिकों द्वारा पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना की गयी।

भूकम्पीय दृष्टि से जनपद चमोली भूकम्पीय जोन–5 में आता है। भूकम्प एवं भूस्खलन के समय राहत एवं बचाव कार्यो हेतु पुलिस विभाग की अपनी प्रशिक्षण प्राप्त टीमे हैं, जो जनपद के विभिन्न स्थानों पर राहत एवं वचाव उपकरणों के साथ नियुक्त की गई है।

संलग्नक–1

आदेश

पत्र व्यवहार शाखा में नियुक्त प्रधानलिपिक/ सहायक लिपिकों /उर्दू अनुवादिका एवं कान्स(एम) के कार्यालय को विभाजन निम्न प्रकार किया जाता हैः–

1–श्री मातवर सिंह नेगी
<u>प्रधानलिपिक</u>

1–पेंशन प्रकरण तेयार करना तथा पेंशन पंजिकाओं का रख–रखाव
2–भवन समबन्धी कार्यो का निस्तारण वं भवन समबन्धी पंजिकाओं का रख–रखाव करना
3–पुलिस अधीक्षक द्वारा सौपे गये कायो का निस्तारण।

2–श्री दिनेश सिंह बिष्ट
<u>चरित्र पंजिका लिपिक सशस्त्र पुलिस</u>

1– आर0आई0/आर0एस0आई/ उप निरीक्षक स0पु0 /सशस्त्र पुलिस के हेड कान्स0/कान्स0, पहिरवहन

शाखा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के चरित्र पंजिकाओं का रख–रखाव।

2– सशस्त्र पुलिस/परिवहन शाखा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का नामिनल रौल एवं अन्य पंजिकाओं का रख–रखाव।

3– समस्त शाखाओं के नियतन में वृद्वि सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार करने सम्बन्धी कार्य।

4– कार्यालय लाइब्रेरी से सम्बन्धित कार्य।

5– प्रधानलिपिक द्वारा सौपें गये कार्यो का निस्तारण करना।

3–श्री हेमचन्द्र सती

<u>चरित्र पंजिका लिपिक नागरिक पुलिस/दण्ड लिपिक</u>

1– पुलिस उपाधीक्षक/निरीक्षक ना0नु0/ उप निरी0ना0पु0 की चरित्र पंजिकाओं एवं सेवा पुस्तिकाओ का रख–रखाव।

2– नागरिक पुलिस शाखा के अधिकारियो/कर्मचारियों के नामिनल रौल एवं अन्य पंजिकाओं का रख–रखाव।

3– विभागीय कार्यवाही की पत्रावलियों का रख–रखाव एवं निस्ताण।

4– निलम्बन, विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित पंजिकाओ का रख–रखाव

5– प्रधानलिपिक द्वारा सौपें गये कार्यो का निस्तारण करना।

3–श्री रमेश चन्द्र डोभाल

रिकार्ड कीपर/याचिका लिपिक

1– याचिकाओं से सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन तथा सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव।

2– याचिकाओं से सम्बन्धित पत्रावलियों पर पत्रचार व निस्तारण कराना।

3– अपील रिवीजन की पत्रावलियों पर कार्यवाही कर अपील रिवीजन समबन्धी पंजिका का रख–रखाव करना।

4– रिकार्ड रूम में अभिलेखों से सम्बन्धी कार्य तथा पंजिकाओं का रख–रखाव का कार्य

5– लेखन सामग्री क्रय एवं लेखन सामग्री सम्बन्धी पंजिका का रख–रखाव

6– भूमि सम्बन्धी पत्रावलियों में कार्यवाही करना (प्रधान लिपिक के निर्देश में।)

3–श्री प्रदीप सिंह बिष्ट

पत्रावली लिपिक/चरित्र पंजिका लिपिक फायर सर्विस एवं अन्य स्टाफ

1— पत्रावली इन्डैक्स व प्रचलित पत्रावलियों का रख—रखाव, अनुस्मारक जारी करना तथा स्थाई एवं निर्देश पत्रावलियों का रख—रखाव
2— सामायिकी विवरण समबन्धी पत्रावलियों का रख—रखाव
3— रिमान्डर डायरी का रख—रखाव
4— लिपिक संवर्ग/ एलआईयू/फायर सर्विस के अधिकारियों/ कर्मचारियों की चरत्रि पंजिकाओं एवं सेवा पुस्तिकाओं का रख—रखाव तथ इन शाखाओं से सम्बन्धित नामिनल रोल, पत्रावलियों तथा अन्य पंजिकाओं का रख—रखाव।
5— थाना चौकियों एवं अन्य शाखाओं के सृजन समबन्धी प्रस्ताव तैयार करना।
6— प्रधानलिपिक द्वारा समय—समय पर सौपें गये कोर्यो का निस्तारण।

6—उर्दू अनुवादिका शबाना।
<u>डिस्पेचर/चरित्र सत्यापन लिपिक</u>

1— बाहरी जनपदें को भेजे जाने वाली डाक प्रेषित करना।
2— थाना/अन्य शाखाओं से सम्बनिधत डाक का वितरण कार्य।
3— चरित्र सत्यापन सम्बन्धित रजिस्टरों का रख—रखाव व सत्यापन प्रपत्रों पर कार्यवाही/निस्तारण करना तथा इनसे सम्बन्धित पंजिकाओं का रख—रखाव।
4— प्रधानलिपिक द्वारा समय—समय पर सौपें गये कार्यो का निस्तारण।

7

7—कान्स(एम) श्री सुभाष रतूडी
पत्रावली लिपिक द्वितीय

1— गार्ड फाइल का रख—रखाव एवं परिपत्रों की समय से गस्ती करने सम्बन्धी कार्य।
2— प्रचलित पत्रावलियों पर समय से अनुस्मारक निर्गत करना तथा प्रचलित, स्थाई एवं निर्देश पत्रावलियों का रख—रखव करना।
3— टाइपराइटर/डुप्लीकेटिंग मशीन का रख—रखाव तथा पंजिका का रख—रखाव।

इसके अतिरिक्त सभी सम्बन्धित सहायक पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द वार्षिक भेजने जाने वाले स्टेमेन्ट सम्बन्धी कार्य करेगें।

पत्रांक एल—1/स्थाई
दिनांक नवम्बर 21 2005

हस्ताक्षर
पुलिस अधीक्षक,
चमोली

प्रतिलिपिः–

1– प्रधानलिपिक को सूचनार्थ एवं अनुपलानार्थ।

2– ए0एस0आई0(एम) सहाकय लिपिक श्री दिनेश चन्द्र सिंह, श्री हेमचन्द्र सती, श्री रमेश चन्द्र डोभाल, श्री प्रदीप सिंह बिष्ट को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ

3– उद्रू अनुवादिका शबाना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

4– कान्स(एम) श्री सुभाष रतूडी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ

..8

संलग्नक–2

संख्या–212 / गृह–1 / 86 / शासुस / 2003

प्रेषक,

एस0के0दास
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में–

1– पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल।

2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।

3– पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था / अभिसूचना, उत्तरांचल देहरादून।

4– समस्त जिला मजिस्ट्रेट,उत्तरांचल ।

5– समस्त वरिष्ट पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।

गृह–अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 04 जुलाई,2003

विषय– जिला स्तरीय एवं थाना स्तरीय शांति समितियों के सृदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके जिलों में पूर्व से ही जिले स्तर पर एवं थाना स्तर पर नागरिक शांति–समितियां गठित हैं एवं उनके द्वारा आप सभी को शांति व्यवस्था के कार्यो के संचालन में सदैव सहयोग प्रापत होता रहा है। शासन द्वारा भी समय–समय पर सभी महत्वपूर्ण कानून–व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशों में आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता रहा है।

2– यहां पर यह भी इंगित कर देना समीचीन है कि शासन की सदैव से मंशा रही है कि शांति व्यवस्था बनाये रखने के कार्य में जन साधारण का भरपूर सहयोग प्राप्त किया जाय एवं लोकतांत्रिक पद्धतियों का निर्वहन करते हुए शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था की स्थापना की कार्यवाही इस प्रकारसे की जाय ताकि नागरिकों को उसमें सहभागिता होने का बोध हो। यथा आवश्यकता , आप सभी के द्वारा इन समितियों की नियमित बैठकों को आहूत किया जाता रहा होगा और शांति व्यवस्था के साथ–साथ अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक एवं जनहितकारी एवं स्थानीय मसलों पर इसी समितियों के माध्यम से कार्यवाही की जाती होगी। परन्तु यह आवश्यक है कि समाज के बदलते परिवेश

में इन शांति समितियों के कामकाज का एक बार पुनरीक्षण किया जाय एवं ऐसी व्यवस्था बनायी जाय जिससे इनकी उपयोगिता अधिकतम हो एवं उसका समय–समय पर पर्यवेक्षेण भी होता रहे , और यह भी सुनिश्चित रहे कि इन समितियों में केवल समाज के उन प्रभावी एवं जन सहयोगी व्यक्तियों को प्रवेश मिले, जिन्हें कि इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पूरा बोध हो और जिनकी समाज में स्थिरता बनाये रखने के प्रति पूरी तरह रूझान एवं प्रतिबद्धता हो।

3– इस सम्बन्ध में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि शांति व्यवस्था से सम्बन्धित अवसरों पर एवं अन्यथा भी नियमित रूप से जिला स्तर पर, थाना स्तर पर शांति समितियों की बैठक आहूत होती रहा करें एवं इन बैठकों में उस क्षेत्र के वरिष्ठतम अधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित हो, ताकि प्रभावी होने के साथ–साथ अन्य विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित हो, ताकि प्रभावी होने के साथ–साथ इन शांति समितियेां के सदस्यों को प्रबन्धन का महत्वपूर्ण भाग होने का बोध भी सदैव होता रहे। इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक होगा कि समिति के सदस्यों की उपब्धता

, उनकी महत्ता, उनके पूर्व कार्य एवं उनके वर्तमान में किये जा रहे कार्यों पर भी आपकी सम्यक दृष्टि रहे ताकि शांति समितियां वाकई प्रभावशाली कार्यवाही का भाग बन सके एवं केवल सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का माध्यम न रहे जाय।

4– इस हेतु आवश्यक होगा कि समाज के सभी महत्वपूर्ण वर्गों के प्रभावशाली व्यक्तियों को इन समितियों में सम्यक रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाय एवं जो सदस्य रूचि प्रदर्शित नहीं कर रहे हों उन्हें समय–समय पर इससे हटाया जाता रहे।

5– यह भी आवश्यक है कि समिति के माध्यम से अन्य महत्वपूर्ण एवं जनलाभकारी सूचना को भी जनसामान्य तक पहुंचान की व्यवस्था की जाय। नियमित रूप से अन्य विभाग के अधिकारियों को भी इन बैठकों से सम्बद्ध किया जाय। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं तथा अन्य आवश्यक जानकारी का आदान–प्रदान भी अन समितियों के माध्यम से कर लिया जाय।

6– पुनः इस बात पर बल दिया जाता है कि शासन द्वारा इन समितियों के सफल संचालन को विशेश महत्व प्रदान किया गया है। आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि इस समिति की बैठकों में आप यथासम्भव स्वंय प्रतिभाग करें अथवा आपके बाद उपलब्ध

सबसे वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति अवश्यक बैठक में रहे ताकि बैठक में सहयोगार्थ आये जनमित्रों को अपनी उपस्थिति का बोध हो एवं वे और उत्साह से इस कार्य में भाग ले सकें। कृपया प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए कृत कार्यवाही से शासन को समय–समय पर अवगत कराना भी सुनिश्चित करें।

भवदीय

(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव

संलग्नक–2 का –1

समस्त थाना प्रभारी,
जनपद चमोली।

आपके द्वारा थाना स्तर पर शांति सुरक्षा समितियों का गठन कर लिया गया है। आप सुनिश्चित करें कि शांति सुरक्षा समितियों की समय–समय पर गोष्ठी आहूत करें, एवं उनसे धार्मिक एवं शांति बनाये रखने हेतु अनुरोध किया जायै। इसके अलावा आपके द्वारा थाना स्तर पर बनायी गयी सुरक्षा समितियों में से निम्नलिखित महानुभावों को जिला स्तररीय शांति सुरक्षा समिति हेतु नामित किया जाता है। आप इन महानुभावों को सूचित करें, एवं जब भी जिला स्तर पर शांति सुरक्षा समितियों की गोष्ठी आहूम की जाती है तो यह महानुभाव इस गोष्ठी में प्रत्येक दशा में सम्मिलित होंवे। आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें:–

<u>थाना कर्णप्रयाग क्षेत्र से</u>:–

1– श्री ललित नैनवाल, अध्यक्ष नगर पंचायत कर्णप्रयाग सदस्य
2– श्री बख्तावर सिह नेगी, ब्लाक प्रमुख थराली सदस्य
3– श्रीमती शिवदेई अध्यक्ष नगर पंचायत गौचर सदस्य

4– श्री नरेन्द्र सिह प्रधान ग्राम सभा लंगासू सदस्य

थाना गोपेश्वर क्षेत्र सेः–

1– श्री के0एस0 बिष्ट से0नि0 डिप्टी कमाण्डेंट ग्रीफ गोपेश्वर सदस्य
2– श्री हरीश पुजारी, एडवोकेट गोपेश्वर सदस्य
3– श्री राजेन्द्र सिह भण्डारी, जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य
4– श्री नन्दन सिह टकोला, नगरपालिा अध्यक्ष गोपेश्वर सदस्य

थाना क्षेत्र चमोली सेः–

1– श्री जगदीश वैष्णव नन्दप्रयाग सदस्य
2– श्री विक्रम सिह रौतेला नन्दप्रयाग सदस्य
3– श्री कुंवर सिह प्रधान खैनुरी सदस्य
4– श्री हरेन्द्र सिह एडवोकेट चमोली सदस्य
5– श्री ऋतुल शाह, पीपलकोटी सदस्य

थाना क्षेत्र जोशीमठ से:–

1– श्रीमती माधवी सती नगरपालिका अध्यक्ष जोशीमठ सदस्य
2– श्री रामकिशन रावत भू0पू0 नगरपालिका अध्यक्ष सदस्य
3– श्री चण्डी प्रसाद डंगवाल भू.पू0 कमांण्डेंट भा.ति.सी.पु. सदस्य
4–श्री बलराम नौटियाल प्रधान ग्रमा पैनी सदस्य
5– श्री हरीश भण्डारी प्रधान ग्राम बडागांव सदस्य

..12

थाना बद्रीनाथ क्षेत्र सेः–

1– श्री धनेश्वर दाड़ी बद्रीनाथ सदस्य
2– श्री लक्ष्मण सिह पूर्व प्रधान बद्रीनाथ सदस्य

अतः आप उक्त महानुभावों को सूचित करायें तथा अनुपालन से अवगत करायें। साथ ही समस्त एल0आई0यू0 से सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारियें को भी इस गोष्टी में समिलित होने हेतु सूचित करें, समस्त एलआईयू यूनिटस इसका अनुपालन करें।

पत्रांक–आर–10/2003
दिनांक–25–'7–2003

पुलिस अधीक्षक,
चमोली

प्रतिलिपि– क्षेत्राधिकारी चमोली को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
प्रतिलिपि– निरीक्षक एलआईयू गोपेश्वर को इस आशय से कि आप अपने अधीनस्त समस्त एलआईयू यूनिटस को भी निर्देशित करें।

संलग्नक–3

समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,
उत्तरांचल।

राज्य में महिलाओं के प्रति अपराधों के आंकड़ों का अवलोकन से महिलाओं के प्रति अपराधों में उत्तरोत्तर बृद्धि हो रही है। महिलाओं के उत्पीड़न पर अंकुश लगाए जाने,अपराधों को राकने के उद्देश्य एवं महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाये जाने के लिए जनपद देहरादून में महिला हेल्प लाईन खोली गई है, जिसमें आशानुकूल परिणाम दृष्टिगत हो रहे हैं महिलाओं में पुलिस के प्रति एक विश्वास की भावना जागृत हुई है।

2– जनपद हरिद्वार में भी एक महिला हैल्प लाईन खोली गई है। इस महिला हेल्प लाईन को और अधिक सृदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

3– महिलाओं का उत्पीड़न यथा महिलाओं से छेड़छाड़,दहेज उत्पीड़न, पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट तथा अन्य उत्पीड़न रोकने एवं उन्हें त्वरित न्याय दिलवाये जाने के उद्देश्य से

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी जनपदों में महिला हैल्प लाईन की स्थापना की जाय।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय–

1. महिला हेल्प लाईन के लिए अलग से एक कक्ष की व्यवस्था की जाय जिसमें एक टेलीफोन की भी व्यवस्था हो। महिला हेल्प लाईन टेलीफोन नम्बर का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय।

2. महिला हेल्प लाईन के लिए अलग से एक वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ताकि किसी भी पीड़ित महिला की सूचना दूरभाष पर प्राप्त होने पर उसकी तत्काल सहायता की जा सके। यह हेल्प लाईन 24 घण्टे कार्यरत रहेगी।

3. महिलाओं की काउन्सिलिंग के लिए अच्छी महिला पुलिस कर्मियों का चयन कर नियुक्त किया जाय। इसके साथ ही समाज सेविकाओं एवं मनौवैज्ञानिकों से सम्पर्क स्थापित कर काउन्सिलिंग की व्यवस्था भी की जा सकती है।

आप से अनुरोध है कि महिला हेल्प लाईन को खोले जाने की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जाय तथा दिनांक 5–11–2004 तक अनुपालन आख्या इस

मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाय। कृपया इसे अपनी ओर से समाज के प्रति योगदान के रूप में देखने की आवश्यकता है न कि केवल मुख्यालय से आये हुए आदेशों के अनुपालन के रूप में। जितनी आपकी रूचि होगी हैल्प लाईन उतनी ही सफलतापूर्वक कार्य करेगी।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में उत्तराचंल राज्य की वर्षगांठ के अवसर पर होने वाली वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गोष्ठी से इस विषय पर विचार–विमर्श किया जायेगा। अतः गोष्ठी में अपेक्षित सूचनायें एवं सुझावों सहित उपस्थित होने का कष्ट करें।

(कंचन चौधरी भटटाचार्य)
पुलिस महानिदेशक
उत्तरांचल।

पत्रांक–डीजी–पांच–196 / 2004
दिनांकः देहरादूनः अक्टूबरः26,2004

प्रतिलिपि– पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल / कुमायूँ परिक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्न–3 का 1

आदेश

पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल देहरादून के पत्र संख्या–डीजी–पांच–196/2004 दिनांक 26–10–2004 के सन्दर्भ में महिलाओं के उत्पीड़न पर अंकुश लगाये जाने एवं महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास जाग्रत किये जाने हेतु जनपद में पुलिस लाईन गोपेश्वर के महिला कल्याण केन्द्र के एक कक्ष में '' महिला हैल्प लाईन'' कार्यालय स्थापित किया जाता है। उक्त कार्यालय में निम्नलिखित कर्मचारी नियुक्त किये जाते है।

1– महिला कां0 118 ना0पु0उर्मिला नेगी

2– महिला कां0 114 ना0पु0 सतरूपा थाना गोपेश्वर

3– महिला कां0 193 ना0पु0 सुशीला नेगी थाना चमोली।

4– कां09 76 नापु श्रवण कुमार थाना गोपेश्वर

उक्त महिला हैल्प लाईन आज दिनांक 30–10–2004 से ही सक्रिय होकर 24 घण्टे कार्यरत रहेगी, जिसका पर्यवेक्षण श्री

सत्यब्रत थानाध्यक्ष गोपेश्वर द्वारा किया जायेगा। उक्त कर्मचारियों का कर्तव्य होगा कि जो भी महिला अपनी शिकायत लेकर आती हैं तो उसका तत्काल निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे तथा समाज में बढ़ रहे महिला उत्पीड़न सम्बन्धी अपराधों के आंकड़ों में कमी लाने हेतु ठोस/सार्थक प्रयास करेंगे।

उक्त महिला हैल्प लाईन में टेलीफोन की व्यवस्था की गयी है। प्रतिसार निरीक्षक उनके लिए एक वाहन उपलब्ध करायेंगे ताकि किसी भी पीड़ित महिला की सूचना दूरभाष पर प्राप्त होने पर उसकी तत्काल सहायता की जा सके। यह हैल्प लाईन 24 घटे तक कार्यरत रहेगी।इसके साथ ही समाज सेविकाओं एवं मनो वैज्ञानिकों से सम्पर्क कर काउंन्सिलिंग की व्यवस्था भी की जायेगी।

उक्त महिला हैल्प लाईन का क्षेत्राधिकारी चमोली भी समय–समय पर पर्यवेक्षण करेंगे।

पत्रांक–एसटी–5/2004
दिनांक 30–10–2004

(अशोक कुमार टमटा)
पुलिस अधीक्षक,
चमोली।

प्रतिलिपि–क्षेत्राधिकारी चमोली एवं जोशीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीहेतु।
2– उप निरीक्षक श्री सत्यब्रत थानाध्यक्ष गोपेश्वर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3– निरीक्षक एलआईयू को सूचनार्थ।

.16

संलग्नक–4

पुलिस मुख्यालय उत्तरांचल देहरादून।
संख्या–डीजी–5–258/2006 दिनांकः अगस्तः25,2006

आदेश

मानवों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु राज्य स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक, अप0/का0व्य0, उत्तरांचल को एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद के वरिश्ठ/पुलिस अधीक्षक को नोडल आफीसर नियुक्त किया जाता है।

2– समस्त वरिश्ठ/पुलिस अधीक्षक अपने–अपने जनपद में ।दजप ज्तांपिबापदह छवकंस ब्मसस का गठन कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा की गयी कार्यवाही से इस मुख्यालय को अवगत करायें।

3– जनपदों में गठित किये गये ।दजप ज्तांपिबापदह छवकंस ब्मसस के कार्यो का पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक, अप0/का0व्य0, उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा।

(जे0एस0 पाण्डे)
अपर पुलिस महानिदेशक,प्रशासन,
उत्तरांचल

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, अप0/का0व्य0,उत्तरांचल।
2– पुलिस महानिरीक्षक, कुमॉयू परिक्षेत्र/पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र।
3– समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।

.17

संलग्नक–4 का 1

समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,
उत्तरांचल।

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 25–8–06 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मानवों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु आपको नोडल पुलिस आफीसर नियुक्त करते हुए ।दजप ज्तांपिबापदह छवकंस ब्मसस का गठन करने की अपेक्षा की गयी है।

2– निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित अभिलेखों का उचित एवं अलग से रखरखाव करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे मुख्यालय द्वारा कोई भी सूचना मांगे जाने पर सूचना अल्प समय में मुख्यालय को उपलब्ध करायी जा सके।

(अभिलाषा बिष्ट)
पुलिस अधीक्षक, अप0/का0व्य0,
नि0 अपर पुलिस महानिदेशक,अप0/का0व्य0
पुलिस मुख्यालय, उत्तरांचल

अशा0 पत्र संख्या–डीजी–258/2006
दिनांकः अगस्तः 30, 2006

संलग्नक–4 का 2

समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,
गढ़वाल परिक्षेत्र, उत्तरांचल।

कृपया अपर पुलिस महानिदेश, प्रशासन के पत्र संख्या–डीजी–5–258/2006 दिनांक 25–8–2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मानवों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु राज्य स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक, अप0/का0व्य0 को एवं जनपद स्तर से सभी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों को नोडल आफिसर नियुक्त कर अवगत कराये जाने विषयक है।

2– अतः आप उरोक्त संदर्भित पत्र का स्वंय भली–भांति अवलोकन कर पत्र में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करायें तथा ।दजप ज्तांपिबापदह छवकंस ब्मसस के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से सम्बन्धित को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(आर0एस0 मीना)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,

गढ़वाल परिक्षेत्र,उत्तरांचल।

पत्र संख्या–सीओजी/आर–37/2006–टी–7244
दिनांक अगस्तः26,2006

प्रतिलिपि– अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन उत्तरांचल को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में सादर सूचनार्थ।

संलग्नक–4 का 3

आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उत्तरांचल ने अपने फैक्स संख्या–डीजी–पांच–258/2006 दिनांक 25–8–2006 के द्वारा मानव के अवैध व्यापार को रोकने हेतु राज्य स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था उत्तरांचल को एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद के वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक को नोडल आफीसर नामित किया गया है।

अतः जनपद स्तर पर निम्न प्रकार एण्टी ट्रेंफिकिंग नोडल सैल का गठन किया जाता हैः–

1– श्री सुभाष चन्द्र कुकरेती, पुलिस उपाधीक्षक, चमोली।
2– श्री के0एस0 नेगी, उ0नि0थाना चमोली।
3– कां0 54 ना0पु0देवेन्द्र कुमार पेशी क्षेत्राधिकारी चमोली।
4– कां0 44 ना0पु0 कैलाशचन्द्र लखेड़ा थाना गोपेश्वर।

पत्रांक–आर–6/2006 पुलिस अधीक्षक,

दिनांक 29–8–2006 चमोली।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को अनुपालनार्थ।
1– क्षेत्राधिकारी चमोली।
2– समस्त थाना प्रभारी चमोली।

संलग्नक–4 का 4

श्री सुभाष चन्द्र कुकरेती
पुलिस उपाधीक्षक चमोली।

आप इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29–8–2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको ।दजप ज्तांपिबापदह छवकंस ब्मसस का प्रभारी तथा उ0नि0 श्री के0एस0 नेगी थाना चमोली , का0 54 ना0पु0 देवेन्द्र कुमार पेशी क्षेत्राधिकारी एवं कां0 44 ना0पु0 कैलाश चन्द्र लखेड़ा थाना गोपेश्वर को आपके अधीनस्थ नियुक्त किया गया है।

2– पुलिस अधीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था ने अपने अशा0 पत्र संख्या–डीजी–पांच–258/2006 दिनांक 30–8–2006 के द्वारा अपेक्षा की गयी है कि एण्टी ट्रेफिकिंग नोडल सैल से सम्बन्धित अभिलेखों का उचित एवं अलग से रख–रखाव करना सुनिश्चित करें, जिससे मुख्यालय द्वारा कोई भी सूचना मांगे जाने पर सूचना अल्प समय में मुख्यालय को उपलब्ध करायी जा सके।

अतः आप उक्तानुसार एण्टी ट्रेफिकिंग नोडल सेल के अभिलेख अलग से व्यवस्थित करवाना सुनिश्चित करें।

पत्रांक–आर–6 / 2006

दिनांक 14–9–2006 पुलिस अधीक्षक,

चमोली

संलग्नक–5

कंचन चौधरी भटटाचार्य **पुलिस महानिदेशक**

आई0 पी0 एस0 **उत्तराचलं**

ांदबींद बीवनकीतल ईींजजबींतलं **क्तमबजवत ळमदतंस व ि च्वसपबम**

प्च्ैण्

न्जजंतंदबींस

परिपत्र

संख्या–4 / 2005

दिनांकः 21–4–2005

प्रिय महोदय,

आपअवगत ही हैं कि दिनांकः 10–4–2005 को जनपद देहरादून पुलिस द्वारा दिनांकः 27–1–2005 को सिलवासा, दादर नगर हवेली के एक प्रतिष्ठित व्यापारी श्री अब्दुल अबुली हुसैन के अपहरण कर्ता एवं वर्ष –1996 में मुम्बई के ट्रेड यूनियन लीडर श्री दत्ता शामंत के हत्यारे शातिर अभियुक्तगण विजय कुमार चौधरी व विक्रम उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया है।

2— इसी प्रकार राज्य के अन्य जनपदों में भी बाहर यथा उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा,मुम्बई आदि स्थानो से आये अवॉछनीय तत्व जो अपराधिक प्रवृति के है, द्वारा शरणस्थली बनाये जाने की सम्भावनाओं से इन्कार नही किया जा सकता है। इन अपराधिक तत्वों द्वारा अन्य राज्यों में अपराध कर अपने को छिपाने के इरादे से उत्तराचंल में शरण लेना मुख्य उद्देश्य हो सकता हैं। इसके अतिरिक्त बाहर से आये यह अपराधी प्रारम्भ में कुछ न कुछ व्यवसायिक धन्धे जैसे प्रोपर्टी डिलिंग, फाइनेन्स कम्पनी आदि में लिप्त रहते हैं तथा बाद में जनता की काफी धनराशि अवैध तरीके से प्राप्त कर गायब हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी दृष्टांत आये हैं कि जहॉ पर इन तत्वों द्वारा अकेले व वृद्ध लोगों की हत्या कर दी गयी है। बाहर से कथित रूप से अध्ययन हेतु आये छात्रों के भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के प्रकरण पूर्व में प्रकाश में आये हैं । यहीं नहीं कुछ कार्यालय तथा संस्थायें भी ऐसे लोगों द्वारा चलाये जाते हैं, जहॉ पर पढे लिखे नौजवानो को देश विदेश में नौकरी देने का वादा कर काफी पैसा बसूलने के बाद यह लोग कुछ दिनों में गायब हो जाते हैं। कुछ फर्जी प्रशिक्षण /शिक्षण केन्द्र अथवा संस्थान भी खोले जाते हैं और इनके संचालक/प्रबन्धक भी खूब पैसा कमाकर एक दिन अचानक गायब हो जाते है।यह प्रशिक्षण केंन्द्र/संस्थान किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से सम्बद्ध भी नहीं होते हैं।

3— पूर्व में मुख्यालय द्वारा बाहर से आकर झुग्गी झोपडी में रहने वाले,ठेली, फड़ लगाकर सामान बेचने वाले, फेरी लगाने वाले, घरेलु नौकर आदि के सत्यापन कराने के निर्देश पारित किये गये थे। इसी प्रकार क्षेत्र मे रहने वाले बुजुर्ग/वृद्ध लोगो को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा करने के सम्बन्ध मे दिशा निर्देश पारित किये गये थे। परन्तु जनपदो की पुलिस द्वारा इस दिशा में धरातल पर किसी प्रकार का ठोस प्रयास किया जाना परिलक्षित नहीं हुआ हैं। इसका मुख्य कारण सम्भवतः इस कार्य के लिये अलग से किसी को नियुक्त नहीं किया जाना है। यह कार्य तब ही किया जाता रहा है जब कभी—कभी थाने पर पुलिस बल की उपस्थिति पर्याप्त हो अन्यथा नहीं।

4— अतः अनुरोध है कि अपने—अपने जनपदों के शहरी विशेषकर देहरादून, ऋषिकेश, विकास नगर ,हरिद्वार ,रूड़की, कोटद्वार ,हल्द्वानी,रामनगर ,रूद्रपुर, खटीमा, टनकपुर ,सितारगंज, किच्छा, काशीपुर , जसपुर, आदि थानो पर एक अलग से प्रकोष्ठ

बनाया जाये, जिसका कार्य केवल बाहर से आने वाले संदिग्ध व्यक्तियो, छात्रो, झुग्गी झोपडी वाले, फेरी वाले, ठेली लगाने वाले, मजदूर ,किरायेदार आदि का सत्यापन करना एवं बुजुर्ग/वृद्ध व्यक्तियो को चिन्हित करना होगा। इस प्रकोष्ठ का प्रभारी एक उपनिरीक्षक को बनाया जाय, जिसके अधीन आवश्यकतानुसार दो–तीन कर्मचारी रखे जाये। सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा इस प्रकोष्ठ के प्रतिदिन के कार्य की समीक्षा की जायेगा। इसी प्रकार क्षेत्राधिकारी द्वारा सप्ताह में गोष्ठी में विशेष रूप से प्रकोष्ठ के कार्य की समीक्षा की जाये और परिक्षेत्र के माध्यम से मासिक आख्या अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था को भेजी जाये। कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया,
(कंचन चौधरीभट्टाचार्य)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक(नाम से) उत्तराचंल।
प्रतिलिपिः– पुलिस महानिरीक्षक कुमायूँ परिक्षेत्र/पुलिस उप महानिरीक्षक गढवाल, परिक्षेंत्र को इस अनुरोध के साथ कि वह भी जब जनपदों में भ्रमण पर जाते हैं उस समय इस प्रकोष्ठ के कार्यों की भी समीक्षा करने का कष्ट करें।

संलग्नक–5 का 1

पुलिस उपाधीक्षक,
जनपद चमोली
समस्त थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी
जनपद चमोली।
निरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई
जनपद चमोली।

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जनपद में संदिग्ध नेपाली/बिहारी/कश्मीरी मजदूरों एवं अन्य फेरी करने वाले व्यक्तियों की संख्या में दिन प्रतिदिन बृद्धि हो रही है। इन संदिग्ध नेपाली एवं बिहारी मजदूरों तथा फेरी का कार्य करने वालें व्यक्तियों में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, तथा जिनकी जनपद में घटित अपराधिक घटनाओं में संलिप्तता प्रकाश में आई है। उपरोक्त में से कुछ व्यक्ति यहां पर मजदूरी एवं फेरी करने के बहाने गैर जनपदों एवं प्रान्तों से इस जनपद में आते हैं और समय पाते ही नियमित पुलिस क्षेत्र एवं

राजस्वपुलिस क्षेत्र में अपराध घटित कर अन्यत्र दूसरे जनपदों को चले जाते हैं। इस कारण अपराधों में इनके संलिप्त होने से उनका अनावरण करने में कठिनाई होती है। क्योंकि जनपद में अधिकांश मजदूरी एवं फेरी करने वाले व्यक्तियों के पते मालूम नहीं होते हैं या उनके मूल जनपदों से पुलिस वेरीफिकेशन के सम्बन्ध में तस्दीक कराया जाता है तथा जो पुलिस वेरिफिकेशन रिर्पोट सम्बन्धित के मूल जनपद को भेजी जाती है वह काफी समय पश्चात प्राप्त होती है, जिससे उनके चरित्र सत्यापन के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है।

2— इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति मजदूरी एवं फेरी का कार्य कर रहे हैं उन व्यक्तियों से उनके जनपदों के थानों से प्रापत पुलिस वेरिफिकेशन रिर्पोट मांगी जाये ताकि उनके चरित्र सत्यापन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जा सके। जनपद में ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों की सूची दिनांक 20—4—2000 तक तैयार कर मेरे कार्यालय में प्रेषित की जाये। उक्त व्यक्तियों द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही उन्हें व्यवसायिक रूप से कार्य करने की अनुमति दिया जाना श्रेयष्कर होगा।

पत्रांक—आर—18 / 2000 पुलिस अधीक्षक,
दिनांक 13—4—2000 चमोली।

प्रतिलिपि— जिलाधिकारी चमोली को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से उपजिलाधिकारियों / पटवारियों को उक्त सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने तथा पंचायत अध्यक्ष / नगरपालिका परिषद अध्यक्ष जनपद चमोली से पत्राचार करने का कष्ट करें, कि अगरउनके द्वारा उक्त व्यक्तों को लाईसेंस निर्गत किये जा रहे हों तो बिना पुलिस रिपोर्ट के निर्गत न करें। यदि पूर्व में इस प्रकार के लाईसेंस निर्गत किये गये हों तो उन्हें निरस्त करवा दिया जाये।

संलग्नक–5 का 2

पुलिस उपाधीक्षक
चमोली / जोशीमठ
समस्त थाना प्रभारी जनपद चमोली /
समस्त चौकी प्रभारी जनपद चमोली।
निरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई
गोपेश्वर चमोली / समस्त यूनिठ एलआईयू।

उत्तराखण्ड उद्योग व्यापार मण्डल कल्याण के जनपदीय अध्यक्ष जनपद चमोली (गोपश्वर) ने अपने पत्र दिनांक 21–5–2001 के द्वारा जनपद में फेरी , फड़, अस्थाई सैल लगाने वाले नेपाली, कश्मीरी तथा बिहारी मजदूरों के वेरोक–टोक घूमने एवं बिना सैल टैक्स पैड बिल के हल्के किस्त के माल को बेचने आदि के सम्बन्ध में पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तरांचल सरकार को सम्बोधित तथा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु इस कार्यालय को पृष्ठाकित किया है।

2— उक्त पत्र के माध्यम से व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया है कि जनपद के ग्रामीण एवं शहरी कस्बों में फेरी के बहाने कश्मीरी, बिहारी तथा नेपाली आदि किस्म के लोग बिना रोक—टोक के घूम रहें हैं, जैसे आये दिन शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में चोरी, मारपीट, हत्यायें आदि जैसे घटनायें घटित हो रही है। इनके द्वारा जो माल बेचा जाता है उसका इनके पास कोई सेल टैक्स पैड विल नहीं होता है, जिसके कारण विगर खरीद विल के माल बेचकर सरकार के टैक्स की चोरी करते है। यह बात भी संज्ञान में लाई गयी है कि इस तरह के कुछ व्यक्ति यहां के बेरोजगार लोगों को साथ में लेकर कई किस्म की घटना घटित करते है।

3— प्रायः यह भी देखने में आया है कि जनपद में सदिग्ध किस्म के नेपाली, कश्मीरी तथा बिहारी मजदूर एवं अन्य फेरी करने वाले व्यक्ति जो अपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, अपराध घटित कर दूसरे जनपदों को चले जाते हैं। इस कारण कई अपराधों में इनके संलिप्त होने पर उनका अनावरण करना कठिन हो जाता है। जनपद में घटित कई अपराधिक घटनाओं में इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है। कई मजदूर एवं फेरी करने वाले व्यक्ति जो अपराधिक किस्म के होते हैं वह फेरी एवं मजदूरी करने के बहाने ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में घूमते रहते है।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 13—5—2000 एवं 29—4—2000 तथा 7—7—2000 के द्वारा स्पष्ट निर्देश पारित किये गये थे कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति मजदूरी एवं फेरी का कार्य कर रहे हैं उन व्यक्तियों से उनके जनपदों के थानों से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगी जाय ताकि उनके चरित्र सत्यापन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जा सके, और ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर समय—समय पर उनकी जॉच की जाय।

अतः इस सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों से उनके पैतृत निवास के थानों से पुलिस चरित्र सतयापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र तत्काल मंगाया जाय,उसके बाद ही उन्हें थाना क्षेत्र में मजदूरी एवं फेरी का कार्य आदि व्यवसाय का कार्य करने दिया जाय, जब तक उसके पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र न हों—

1– फेरी करने वाले के पास जो माल है उसका वर्तमान का सेल टैक्स भुगतान विल
2– फोटो पहचान पत्र
3– पुलिस सत्यापन के बाद उससे लाईसेंस जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त सभी थाना/चौकियों पर इनकी उपस्थिति पंजिका भी बनाई जाय, जिसमें समय–समयपर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। इन लोगों को एक माह का समय दिया जाय ताकि वह अपने सम्बन्धित थाने से पुलिस चरित्र सत्यापन सम्बन्धी रिपोर्ट दाखिल कर सकें, जो इस प्रकारी की चरित्र सत्यापन सम्बन्धी रिपोर्ट दाखिल नहीं करता है तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाय। तभी इस तरह के लोगों को थाना क्षेत्र में जितने भी नेपाली/कश्मीरी/बिहारी मजदूर तथा अन्य फेरी करने वाले व्यक्ति मौजूद हैं उनकी सूची बनाकर इस कार्यालय को भेजें, तथा एक प्रति थाने पररखें कि कितने व्यक्तियों का चरित्रसतयापन हो गया है और कितने का नहीं। इस सूची का मेरे द्वारा थाने के दौरे पर निरीक्षण किया जायेगा। उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कढ़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

पत्रांक–आर–18/2001
दिनांक 24–5–2001

पुलिस अधीक्षक,
चमोली।

27

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी चमोली को इस आशय से सूचनार्थप्रेषित कि अपने स्तर से समस्त उपजिलाधिकारी/पटवारियों को उनके उक्त सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने तथा जिला पंचायत अध्यक्ष /नगर पालिका परिषद अध्यक्ष/नगर पंचायत अध्यक्ष जनपद चमोली को अपने स्तर से पत्राचार करने का कष्ट करें, कि उनके द्वारा उक्त प्रकारके व्यक्तियों को लाईसेंस निर्गत किये जा रहे हों तो बिना पुलिस रिपोर्ट के निर्गत न करें। यदि पूर्व में इस प्रकार के लाईसेंस निर्गत किये गये हों तो उन्हें निरस्त करवा दिया जाये।
प्रतिलिपि– जनपदीय अध्यक्ष, व्यापार मण्डल चमोली (गोपश्वर) को सादर सूचनार्थ।

संलग्नक–5 का 3

अर्द्धशा0 पत्र संख्या–आर–3/2003 पुलिस अधीक्षक,
चमोली।
दिनांकःजुलाईः22,2003

प्रिय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–आर–2/203 दिनांक 16–7–03 एवं पत्र संख्या–आर–3/03 दिनांक 5–7–2003 का संदर्भ ग्रहण करें, जो पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था पुलिस मुख्यालय देहरादून केअशा0 पत्र संख्या–डीजी–17 (निर्देश)/03 दिनांक 2–7–03 के क्रम में उत्तरांचल में बाहरी राज्यों/प्रदेशों एवं जनपदों से आये अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के ठिकानों का पता लगाने एवं उन पर सतर्क दृष्टि रखने आदि के सम्बन्ध में यथाशीघ्र कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालन से अवगत करायें जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक महोदय उततरांच के परिपत्र संख्या–16/2001 दिनांक 17–8–2001 का भी अवलोकन करें, जो बाहरी प्रदेशों/जनपदों से आने वाले नेपाली,बिहारी, बंग्लादेशी , कश्मीरी एवं अस्थाई रूप से फड़ लगाने वाले तथा मजदूरी करने वाले व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखने एवं अपराधिक घटनाओं में लिप्त पाये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि बाहरी राज्यों एवं जनपदों से आने वाले सभी संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर सर्तक दृष्टि रखना सुनिश्चित करें, एवं उनके चरित्र के सम्बन्ध में सत्यापन कराना अति आवश्यक होगा ताकि उनकी अपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता होने के सम्बन्ध में पता लग सके। प्रायः यह देखा गया है कि फेरी करने वाले छोटी–मोटी दुकान लगाने की आड़में रहकर कई अपराधिक घटनाओं को अंजाम देते है। फेरी करने वाले व्यक्ति जहां एक ओर टैक्स की चोरी करते हैं वहीं गांव की गरीब जनता को घटिया किस्म का माल बेचकर आम जनता का शोषण करते है। राज्य के कई जनपदों में इस तरह के कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपराध घटित करने में संलिप्तता रही है, क्योंकि इस प्रकार के कार्य करने वालें में कुछ अपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं जो अपराध घटित कर दूसरे जनपदों में चले जाते हैं। इस प्रकार कई अपराधों में इनकी संलिप्तता होने के कारण उन अपराधों का अनावरण करना काफी कठिन हो जाता है।

..29

अतः इस सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियों के पैतृक निवास स्थान से एवं इससे पूर्व जहां कार्य करता था उस सम्बन्ध में तत्काल चरित्र सम्बन्धी सत्यापन प्रमाण पत्र मंगाया जाय और उसके बाद उनको क्षेत्र में कार्य करने दिया जाये। इस सम्बन्ध में पूर्व में मेरे द्वारा निर्देश निर्गत किये गये थे कि इस तरह के कार्य करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में थाना पर एक रजिस्टर बनाया जाय जिसको अध्यावधिक रखा जाय तथा उसमें जांच की कार्यवाही अंकित की जाय। पुनः यह भी निर्देशित किया जाता है कि आपके थाना क्षेत्रान्तर्गत में इस तरह के जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं उनके चरित्र सत्यापन की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की अनुपालन आख्या से 10 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय

(अशोक कुमार टमटा)

1– श्री डी0एस0 गुन्ज्याल
क्षेत्राधिकारी चमोली।
2– श्री एम0एल0 चौहान
निरीक्षक प्रभारी कर्णप्रयाग।
3– श्री बी0के0 पाण्डेय,
थानाध्यक्ष थाना चमोली।
4– श्री नवीन चन्द्र जोशी
थानाध्यक्ष थाना गोपेश्वर।
5– श्री जी0एल0 शाह
थानाध्यक्ष जोशीमठ।
6– श्री प्रेम सिह चौहान
थानाध्यक्ष थाना बद्रीनाथ।

संलग्न–6

ज्योति स्वरूप पाण्डे अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन
आई.पी.एस. पुलिस मुख्यालय, उत्तरांचल
12 सुभाष रोड़ देहरादून।महत्वपूर्ण
अ0शा0 पत्रसंख्या–डीजी–दो–17/2006
दिनांक देहरादून 30/1 2006

प्रिय महोदय,

जनपदों/इकाइयों में प्रचलित बृहत् निमार्ण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पुलिसउप महानिरीक्षक, मुख्यालय के परिपत्र संख्या–1/2005 दिनांक 1–1–2005 (छाया प्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

2– '' गुणवत्ता हेतु कार्यवाही'' के अन्तर्गत आपसे अपेक्षा की गयी थी कि निमार्ण कार्यो के निरीक्षण हेतु जनपद/

इकाई स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जायेगी जो समय–समय पर निमार्ण कार्यो की समीक्षा करेगी। कमेटी में नामित हे0कां0 रैंक का सदस्य प्रतिदिन निमार्ण कार्यो की समीक्षा हेतु नियुक्त रहेगा। इसी क्रम में शासनादेश, संख्या–452/गगटप्;1द्ध/2005 दिनांक 5–3–2005 (छायाप्रति संलग्न) में निमार्ण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये है। विशेष रूप से विन्दु–10 में नोडल अधिकारी की प्रासंगिकता पर बल दिया गया है।

3–कृपया तत्काल अवगत करायें कि आपके जनपद/इकाई में गठित कमेटी में कौन–कौन से अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त है। यदि अब तक कमेटी गठित नहीं की गयी तो तत्काल गठित कराकर कमेटी की मासिक आख्या प्रति माह की 5 तारीख तक पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4– उपर्युक्त के अतिरिक्त निमार्ण इकाईयों को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित परिपत्र संख्या–1/2005 , की छायाप्रति भी संलग्न है। निमार्ण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक तीन माह में अथवा सामग्री का नया खेप प्राप्त होने पर उसका परीक्षण अधिकृत संस्था से कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। इस हेतु

आप पी0डब्लू0डी0, पन्त नगर विश्वविद्यालय तथा सी0बी0आर0आई0 रूड़की आदि की सहायता ले सकते है। कृपया इन निर्देशों को अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अब तक कराये गये परीक्षणों से दिनांक 10–2–2006 तक इस मुख्यालय को अवगत कराने की व्यवस्था करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(जे0एस0 पाण्डे)

समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तराचंल
समस्त सेनानायक,
पीएसी वाहिनी, उत्तरांचल

प्रतिलिपि– पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र, एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न–6 का 1

संख्या– 452/ग्गटटप्;1द्ध /2005
प्रेषक,
इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराचंल शासन।
सेवामें,
अपर मुख्य सचिव,/
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।
वित्त अनु0–1 देहरादून, दिनांक 5 अर्पेल, 2005
विषय–शासकीय निमार्ण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय निमार्ण कार्यो के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं के चयन/ निर्धारण के सम्बन्ध में वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न निर्णय लिया गया है–

शासकीय निमार्ण कार्यो के लिए प्रदेश की निमार्ण इकाईयों की तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता के आलोक में निमार्ण ऐजेन्सियों के विस्तार पर रोक लगाने हेतु आवश्यक है कि राज्य के बाहर कार्यदायी संस्थाओं को उनके आगणन पर अब कोई भी नया निमार्ण कार्य स्वीकृत न किया जाये। लोक निमार्ण विभाग, सिंचाई विभाग तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के निमार्ण कार्यो की क्षमता के दृष्टिगत इनके अधिक निमार्ण कार्य कराये जांये। साथ ही उत्तरांचल के राजकीय निगमों में प्रमुख रूप से उत्तरांचल पेय संसाधन विकास एवं निमार्ण निगम को जिन्हें सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा निमार्ण कार्य कराये जाने हेतु भी गठित किया गया है से अधिक से अधिक निमार्ण कार्य कराये जायें। गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊं मण्डल विकास निगम की कार्य क्षमता को देखते हुए इनसे भी निमार्ण कार्य कराये

जाने पर विचार किया जा सकता है। इसके दृष्टिगत राजकीय निमार्ण कार्यो हेतु उक्त निमार्ण एजेन्सियों में से चयन के लिए निम्न निमार्ण सिद्धान्तों/ मापदण्डों का अनुपालन कराया जायः–

(क) रू0 20,00 लाख तक के सभी भवन निमार्ण कार्य (मानकीकृत/गैर मानकीकृत भवन)– उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निमार्ण निगम, उत्तराचंल राज्य के निगम एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा कराये जा सकते है।

(ख) रू0 200.00 लाख से अधिक एवं रू0 800.00 लाख के (मानकीकृत भवन निमार्ण कार्य) किसी भी निमार्ण एजेन्सी से कराया जा सकता है, परन्तु राज्य के बाहर की निमार्ण एजेन्सी को न्यनतम टेण्डर के आधार पर ही निमार्ण कार्य आबंटित किये जाय।

(ग) रू0 200.00 लाख से अधिक गैर मानकीकृत भवन निमार्ण कार्य तथा रू0 800.00 लाख से अधिक के समस्त भवन निमार्ण कार्य लोक निमार्ण विभाग,सिंचाई विभाग एवं उत्तरांचल पेयजल संसांधन विकास एवं निमार्ण निगम से आगणन प्राप्त कर निविदा के माध्यम से प्रतियोगितात्मक स्पर्धा के आधार पर कराया जा सकता है, जिसमें न्यनूतम धनराशि का आंकलन निगम को देय सेन्टेज चार्जेज को घटाकर किया जायेगा।

2. कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से एक स्थान पर प्रस्तावित समस्त निमार्ण कार्य एक ही कार्यदायी संस्था से कराया जाये। यदि किसी कारणवश निमार्ण कार्य एक कार्यदायी संस्था को देने से निर्धारित समयान्तर्गत निमार्ण कार्य पूरा न कराया जा सके तो प्रशासनिक विभाग एक से अधिक कार्यदायी संस्था को निमार्ण कार्य हेतु आबद्ध कर सकता है,परन्तु यह आबद्धता ऐसी होनी चाहिए ताकि प्रत्येक निमार्ण इकाई को निमार्ण कार्य पूरा करने में दूसरी निमार्ण इकाई पर कंचित मात्र भी निर्भर न रहना पड़े।

3. निमार्ण कार्य के लिए निमार्ण एजेन्सियों द्वारा तैयार किया गया आगणन पूरी तरह लोक निमार्ण विभाग की दरों पर आधारित होना चाहिए। प्रतिवर्ष मानक दरों के निर्धारण हेतु मुख्य अभियन्ता, लोक निमार्ण विभाग, मुख्य

अभियन्ता , सिंचाई विभाग,प्रबन्ध निदेशक उत्तराचंल पेयजल निगम/ मुख्य अभियन्ता की एक समिति गठित की जायेगी, जिसके द्वारा निर्धारित मानक दरों की सूचना नियमित रूप से सभी सम्बन्धित को दी जायेगी।

4. मानकीकृत भवन की विशिष्टयां लोक निमार्ण विभाग द्वारा इन भवनों के लिए निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप प्रत्येक कार्यदायी संस्था द्वारा अपने आगणन में समावेशित किया जाना होगा। यथा सम्भव इन मानीकृत भवनों के मानचित्र लोक निमार्ण विभाग द्वारा तैयार किये गये मानचित्र पर ही आधारित होंगे।

5. निमार्ण कार्य आवंटन के समय ही निर्धारित समय तथा लागत, जिसके अन्दर कार्य पूरा होना है, पारस्परिक

विचार–विमर्श द्वारा तय कर लिया जाना चाहिए और तदनुसार निमार्ण हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित प्रत्येक विभाग द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में जो निमार्ण कार्य पूर्व में जिस कार्यदायी संस्था को आंवटित किया जा चुका है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन इस निर्णय के परिणाम स्वरूप नहीं किया जायेगा। केवल डेबिटेबिल कार्य की स्थिति उत्पन्न होने पर ही निमार्ण दायी संस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। यथासम्भव स्वीकृत आगणन के आधार पर तैयार किये गये विस्तृत आगणन के अनुरूप ही पूर्व स्वीकृत निमार्ण कार्य पूरे करा लिये जायें और उनमें किसी प्रकार का संशोधन केवल अपरिहार्य स्थिति में ही कराये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

6. उत्तरांचल राज्य के बाहर की कार्यदायी संस्थाओं को निमार्ण कार्य टेण्टर के आधार पर दिये जांये एवं उत्तराचंल की कार्यदायी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाय।

7. समस्त निमार्ण कार्य निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरों द्वारा ही सभी निर्माण एजेन्सियों द्वारा कराये जायेंगे। किसी भी दशा में आगणन के आधार पर कार्य का सम्पादन नहीं कराया जायेगा।

8. संशोधित आगणन का पुनः संशोधित आगणन स्वीकार न किए जाय।

9. निमार्ण कार्य हेत कार्यदायी संस्था के चयन संबधी आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे, अर्थात ऐसे मामले पुनरीक्षित नहीं किए जायेंगे, जहां कार्यदायी संस्था का पूर्व से निर्धारण हो चुका है।

10. विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे निमार्ण कार्य का अनुश्रवण भी अत्यन्त आवश्यक है। निमार्ण कार्य कराने वाले सभी प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि उनके द्वारा नोडल अधिकारी नामित किये जायें एवं कार्यदायी संस्था द्वारा भी नोडल अधिकारी नामित किए जांये, जो निर्माण कार्य का संयुक्त रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर तुरन्त विभागीय सचिव एवं

विभागाध्यक्ष को सूचित करेंगे। निमार्ण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यथशीघ्र भवन आदि विभाग द्वारा निमार्ण ऐजेंन्सी से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित होगा। विभागीय सचिव के स्तर पर कम से कम प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें निमार्ण कार्य की गुणवत्ता एवं समय से निमार्ण कार्य पूरा किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या– 452/ग्टटप्;1द्ध /2005एवं तददिनांक
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग उत्तरोंचल देहरादून।

4. मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तरांचल देहरादून।
5. प्रबन्धक निदेशक, पेयजल विभाग, उत्तराचंल देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूं मण्डल विकास निगम नैनीताल।
8. एन0आई0सी0 उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से

(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त